राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 6125/2013

नंद राम पुत्र श्री भगवाना राम, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी- एसटीआर नाहर की टेल, नई मंडी, घड़साना, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर, राजस्थान के माध्यम से राजस्थान राज्य
2. राजस्व बोर्ड राजस्थान अपने पंजीयक, अजमेर के माध्यम से

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री डी. एस. सोढा

उत्तरदाता(गण) के लिए : श्री आई. एस. पारीक

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश</u> (मौखिक)

<u>03/01/2024</u>

1. याचिकाकर्ता ने अपील संख्या 2826/2000 में राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 05.04.2013 के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में, न्यायाधिकरण ने जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिए गए दिनांक 09.08.2000 के निर्णय के खिलाफ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53 (1) के तहत अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त किया गया था। इसके बाद, कलेक्टर के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील को भी खारिज कर दिया गया।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः याचिकाकर्ता को पटवार मंडल लोढ़ा, तहसील और जिला बांसवाड़ा में 26.02.1979 पर एक पटवारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें अतिरिक्त कलेक्टर, क्षेत्र विकास, उत्तर पश्चिम बाकरा, हनुमानगढ़ जंक्शन के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया, याचिकाकर्ता 01.02.1981 पर ड्यूटी में शामिल हुए, 24.02.1983 तक वहीं रहे।

इसके बाद, उन्हें विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया, जिन्होने पात्रता के अनुसार पदोन्नति और चयन ग्रेड प्राप्त किए।

2.1. राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 लागू किया, जो 01.09.1996 से प्रभावी है। इन नियमों के नियम 53 में सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को संबोधित किया गया है। नियम 53 (i) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा एक परिपत्र दिनांक 21.04.2000 जारी किया गया था, जिसमें प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए थे।

2.2. परिपत्र में आदेश दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को, नियुक्ति करने वाले अधिकारी 15 साल की योग्यता सेवा पूरी करने या 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले व्यक्तियों की एक सूची तैयार करें। जाँच समिति, विभाग की आंतरिक समिति, सरकारी कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा करती है, समीक्षा समिति द्वारा विचार के लिए एक व्यापक संक्षिप्त विवरण तैयार करती है। परिपत्र अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर निर्णय लेते समय प्रतिकूल टिप्पणियों और सकारात्मक मूल्यांकन सहित पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने पर जोर देता है।

2.3. श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर ने 21.04.2000 पर परिपत्र के अनुसार एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया। इस समिति ने 04.07.2000 पर अपनी बैठक में, सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद नियम 53 (i) के तहत याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की, जिसमें 1995 और 1998 में याचिकाकर्ता पर लगाए गए दो प्रमुख दंड और वर्ष 1990-91 के लिए ए सी आर में प्रतिकूल प्रविष्टियों पर ध्यान दिया गया।

2.4. याचिकाकर्ता को वर्ष 1990-91 के लिए ए सी आर में प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में 18.01.1994 पर एक नोटिस प्राप्त हुआ। 1995 और 1995 में जवाब जमा करने के बावजूद, प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया गया है।

2.4. एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4004/2003 में न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाने वाले दिनांकित 15.06.1995 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने एक अन्य सजा आदेश दिनांक 22.07.1998 को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 3260/2002 दायर की, जो निर्णय के लिए लंबित है।

2.7. श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर ने 1996 के नियमों के नियम 53 (i) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद 09.08.2000 को याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, मैं याचिकाकर्ता के तर्क को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ता हूं।

4. याचिकाकर्ता के वकील का दृढ़ता से तर्क है कि याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को कारित करने वाले आक्षेपित आदेश में दिमाग के किसी भी अनुप्रयोग का अभाव है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि नियुक्ति प्राधिकरण याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड पर स्वतंत्र रूप से विचार या समीक्षा करने में विफल रहा, जो 1996 के नियमों के नियम 53 के तहत एक आवश्यकता है।

5. वकील एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1691/1993 में इस न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर विश्वास करता हैः स्वर्गीय श्री पुखराज गहलोत के विधिक प्रतिनिधि बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जोधपुर और अन्य जो 2007 (2) डब्ल्यूएलसी (राज) 510 में रिपोर्ट किया गया और 01.03.2007 पर निर्णित हुआ। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि नियुक्ति प्राधिकरण को पूरे सेवा रिकॉर्ड के आधार पर एक निश्चित राय बनानी चाहिए, जिसमें सरकारी कर्मचारी की समय से पहले सेवानिवृत्ति के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।

6. जवाब में, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि 05.04.2013 पर न्यायाधिकरण का निर्णय न्यायसंगत और उचित है और इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. आगे बढ़ने से पहले, पुखराज गहलोत (उपरोक्त) के एलआर के मामले में फैसले पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की निर्भरता को संबोधित करना उचित है। उसमें की गई टिप्पणियों से सहमत होते हुए, यह विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति प्राधिकारी की अनन्य व्यक्तिपरक संतुष्टि का मूल्यांकन प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। उद्धृत निर्णय एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां नियुक्ति प्राधिकरण ने जांच और समीक्षा समितियों की राय को खारिज कर दिया, उनकी अनुकूल राय के बावजूद अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया।

8. वर्तमान मामले में, जांच समिति और समीक्षा प्राधिकरण दोनों ने अपना दिमाग लगाया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि याचिकाकर्ता सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य है।

9. प्रतिवादी द्वारा दायर शपथ पत्र, जिस पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, इंगित करता है कि एसडीओ, श्रीगंगानगर और लेखा अधिकारी, डी. आर. डी. ए. की स्क्रीनिंग समिति ने याचिकाकर्ता के साथ समीक्षा समिति को छह अन्य मामलों की सिफारिश की। समीक्षा समिति, जिसमें जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर शामिल थे, ने याचिकाकर्ता को उचित विचार के बाद सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया।

10. यदि यह जाँच और समीक्षा समितियों के साथ असहमत दंडक प्राधिकरण का मामला था, तो स्वतंत्र कारणों को दर्ज करना आवश्यक होगा। हालाँकि, इस उदाहरण में, दोनों समितियों ने निर्णय का समर्थन किया, और इसलिए, विस्तृत कारणों की स्पष्ट रूप से आवश्यकता नहीं है।

11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती के तहत आक्षेपित प्रशासनिक आदेश को अधिक सटीक रूप से यह पुष्टि करने के लिए कहा जा सकता था कि समीक्षा प्राधिकरण ने जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, लेकिन इस विवरण पर जोर देना अत्यधिक तकनीकी लगता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी असावधानी के आधार पर अनुचित लाभ दे सकता है।

12. अपनी चर्चा के परिणाम के रूप में, मुझे हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं मिलता है।

13. याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।